# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील / डिक्री / टीए / 8590 / 2008 / टोंक**

1— रूपसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह,
2— सरदार सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह,
3— शिवराज सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह,
4— कानसिंह पुत्र श्री उमराव सिंह,
5— गब्बर सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह,
6— शैतान सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह,
7— विजय कंवर बेवा श्री उमराव सिंह,
8— शिवनन्दन सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह,
9— शिव प्रताप सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासियान उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक।

**.....अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1— मांगीलाल पुत्र श्री भूरा,
2— लादूलाल पुत्र श्री भूरा,
दोनो जाति गुर्जर, निवासी बोसरिया तहसील उनियारा जिला टोंक।
3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उनियारा जिला टोंक।

**.....प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड—पीठ**
**श्री अविनाश चौधरी, सदस्य**
**श्री एस.के.पुरोहित, सदस्य**

**उपस्थित :**
श्री वी. पी. सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।
श्री एस. एल. चौधरी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

## निर्णय

**दिनांकः 16 / 12 / 2022**

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

अपील प्राधिकारी, टोंक (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5–8–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बोसरिया स्थित आराजी खसरा साबिक नं. 164 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नं. 367 रकबा 2.63 हेक्टर पर प्रत्यर्थीगण वादीगण अपने पिता के समय से संवत् 2011 से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उन्होंने विवादित भूमि को हाड तोड़कर काबिल काश्त बनाया। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है तथा विवादित भूमि गलत रूप से अपीलार्थीगण के नाम चली आ रही है। जबकि वादीगण प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि के बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार हो चुके है, किन्तु विवादित भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा विक्रय किये जाने की धमकी दिये जाने के कारण यह वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद डिक्री किया जाये एवं अपीलार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण ने अपना जवाब दावा पेश कर वादीगण प्रत्यर्थीगण के कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 25–5–2006 द्वारा खारिज कर दिया।

3– विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी वादी ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 5–8–2008 द्वारा प्रत्यर्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–5–2006 खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4— उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड गैर खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उन्हें यह भूमि ठिकाना उनियारा के द्वारा दी गई थी, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का कभी कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा, बल्कि कुछ वर्षो की बंटाई काश्त के आधार पर प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि पर अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रहे है, जबकि उनका विवादित भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है। विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना गैर कानूनी रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का निरंतर एवं मुखालफाना कब्जा मानते हुए मुखालफाना कब्जे के साथ साथ बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना अंकित करते हुए खातेदारी प्रदान करने में भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल कारित की है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही प्रत्यर्थीगण ने ठोस व दस्तावेजी साक्ष्य से इसे साबित ही किया। प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि पर कभी निरंतर कब्जा नहीं रहा। अतः वाद कब्जे के अभाव में मेन्टेनेबल ही नहीं था एवं ना ही दावा दायरी के समय प्रत्यर्थीगण का कब्जा ही साबित था। रेस्पोडेंट वादी परीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे विवादित आराजी पर उनका अधिकार सिद्ध होता हो। जब तक वादी अपने आप को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि विवादित भूमि प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की है, जिसका लगान जमा करवाते चले आ रहे है। प्रत्यर्थीगण वादीगण के पिता भूरा पुत्र हरदेवा द्वारा सं. 2011 से पहले नोतोड़ फाड कर काश्त योग्य बनाई, तब से

प्रत्यर्थीगण वादीगण के पिता एवं उनके बाद आज तक लगातार प्रत्यर्थीगण वादीगण का कब्जा काश्त होने के कारण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। जबकि अपीलार्थीगण या उनके पूर्वजो ने न तो काश्त की और न कभी लगान अदा किया। प्रत्यर्थीगण के पिता भूरा पुत्र हरदेवा का संवत् 2011 से 2033 तक लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा लगान अदा करते आ रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानुसार 12 वर्ष की अवधि निकलने के कारण प्रत्यर्थीगण वादीगण का कब्जा प्रतिकूल हो चुका था तथा प्रत्यर्थीगण वादीगण आज तक काबिल काश्तकार है एवं संवत् 2011 में कब्जा होने से स्वतः ही खातेदार हो चुके है। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण ने वादपत्र के खण्डन में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करवाई तथा जानबूझकर अनुपस्थित रहे। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादीगण की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— **अवधार्य प्रश्न :—**

आया योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 5—8—2008 द्वारा विचारण न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक का निर्णय व डिक्री दिनांक 25—5—2006 अपास्त करने में विधि एवं तथ्य सबंधी त्रुटि कारित की है?

**विनिश्चय :—**

अपीलार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

**विनिश्चय के कारण :–**

पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रत्यर्थीगण वादीगण ने अपीलार्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष एक वाद इस आशय का प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि वादीगण अपने पिता के समय से संवत् 2011 से विवादित आराजी साबिक नं. 164 हाल सं. 367 रकबा 2.63 हेक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा लगान जमा करवाते चले आ रहे है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व उनके विवादित भूमि पर काबिज होने से by operation of law खातेदार बन गये है। योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25–5–2006 द्वारा वादीगण का वाद इस आधार पर खारिज किया कि विवादित आराजी बाबत् वादीगण ने कब्जा संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, न ही लगान अदा करने संबंधी दस्तावेज पेश किये है। अतः वादीगण का विवादित आराजी पर कभी भी लगातार कब्जा काश्त नहीं होना अंकित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के समक्ष अपील पेश की गई। योग्य प्रथम अपील न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5–8–2008 से वादीगण की अपील को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय डिक्री वादीगण प्रत्यर्थीगण के हक में पारित करते हुए वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर दिया एवं प्रतिवादी अपीलार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य निवेदन यह रहा है कि विवादित आराजी पर प्रत्यर्थीगण वादीगण का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा है तथा उन्हें यह भूमि ठिकाना उनियारा द्वारा दी गई है। बल्कि कुछ वर्षों की बंटाई काश्त के आधार पर प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि पर अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रहे है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श 2 खसरा गिरदारवरी संवत् 2011 से 2014 एवं प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2016 व प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2033 के अनुसार प्रत्यर्थी वादीगण के पिता का विवादित भूमि पर काबिज होना प्रकट

होता है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व संवत् 2011 से 2012 में है। यद्यपि 2 वर्ष तक कब्जा अन्य का दर्ज है, किन्तु संवत् 2015 से 2033 तक कब्जा होना जाहिर होता है। बीच में राज्य सरकार के निर्देशों के कारण खसरा गिरदावरी में कब्जे का अंकन बंद हो गया था। प्रदर्श 7 से प्रदर्श 15 असल लगान की रसीदे है, जो जमाबंदी में अंकित गैर खातेदारों के नाम की है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी वादीगण के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के वक्त प्रश्नगत आराजी पर काबिज काश्तकार थे। अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा दौराने वाद इसके खण्डन में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है। वादग्रस्त भूमि जागीर भूमि होना अपने आप में स्पष्ट है तथा प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत् 2055 से 2053 में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज है, किन्तु अपीलार्थीगण अपनी अपील मीमो एवं बहस के माध्यम से यह जाहिर करने में असफल रहे है कि उनका नाम जब एक बार हट गया था तो पुनः जमाबंदी में किस रूप में आया। जबकि अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण वादीगण के पिता विवादित आराजी पर संवत् 2011 से काबिज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व इनके काबिज होने से by operation of law स्वतः खातेदार बन गये। इस प्रकार वादीगण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपना कब्जा काश्त 2011 से 2033 तक लगातार प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से बखुबी साबित किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार वादीगण द्वारा विवादित भूमि पर कृषक की हैसियत से काबिज होकर लगान दिया जाना स्थापित किया है। अपीलार्थीगण ऐसी कोई स्थिति या कारण स्पष्ट नहीं कर पाये है कि राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत आराजी उनके नाम किस प्रकार आई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के वक्त प्रत्यर्थी वादीगण के पिता का प्रश्नगत आराजी पर काबिज काश्तकार होना साबित है। अतः वे by operation of law प्रश्नगत आराजी के काश्तकार बन गये। उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय की विवेचना स्पष्ट एवं त्रुटिविहिन है। हमारी सुविचारित राय में योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने तथ्यों एवं साक्ष्य के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री करने में किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रुटि नहीं की है।

8— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा मत है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये वादीगण का दावा डिक्री करने में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नहीं है, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के स्तर पर उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत हो। सारांशतः हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील को एतदद्वारा खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एस.के.पुरोहित)** **(अविनाश चौधरी)**

**सदस्य** **सदस्य**